BULANDSHAHR POLICE

दिनांक 14 अगस्त 2024

"ऑपरेशन कन्विक्शन" अभियान के क्रम में बुलन्दशहर पुलिस द्वारा प्रभावी पैरवी कर हत्या के आरोपी को आजीवन कारावास व 12,000 रूपये के अर्थदण्ड की सजा दिलवायी गयी:-

अवगत कराना है कि अभियुक्त आकाश पुत्र राजेश निवासी मौ0 खत्रीवाडा कस्बा व थाना सिकन्द्राबाद द्वारा वर्ष-2020 में अपने मौहल्ला निवासी रामवीर की गोली मारकर हत्या करने की दुस्साहसिक घटना कारित की गयी थी जिसके संबंध में दिनांक 12.11.2020 को थाना सिकन्द्राबाद पर मुअसं– 882/2020 धारा 302,34,506 भादवि पजीकृत किया गया व बरामदगी के सम्बन्ध मे मुअसं – 895/2020 धारा 3/25 शस्त्र अधि0 पंजीकृत किया गया तथा दिनांक 01.02.2021 को पुलिस द्वारा मा0 न्यायालय में आरोप पत्र प्रेषित किया गया। इन अभियोगो को श्रीमान पुलिस महानिदेशक महोदय, उ0प्र0 द्वारा चलाये जा रहे अभियान "ऑपरेशन कन्विक्शन"के अन्तर्गत चिन्हित करते हुए मॉनीटरिंग सैल बुलन्दशहर द्वारा मा0 न्यायालय में सशक्त, प्रभावी पैरवी कर अभियोजन की कार्यवाही सम्पन्न करायी गई जिसमें अभियुक्त के विरुद्ध 11 गवाह परिक्षित हुए जिसके परिणामस्वरुप **आज दिनांक 14.08.2024 को न्यायाधीश श्री गोपाल जी (मा0 न्यायालय एडीजे–12 जनपद बुलन्दशहर) द्वारा दोष सिद्ध पाये जाने पर अभियुक्त आकाश को आजीवन कारावास व 12,000 रूपये के अर्थदण्ड से दण्डित किया गया ।** अभियोजन पक्ष की ओर से पैरवी करने वाले अभियोजक श्री विमल कुमार व श्री प्रवेन्द्र कुमार का योगदान सराहनीय रहा है। प्रभावी पैरवी कर अभियुक्त को सजा दिलाना बुलन्दशहर पुलिस की बड़ी सफलता है।

मीडिया सेल, बुलन्दशहर